न्यायालय समाहर्त्ता / जिला पदाधिकारी, सहरसा

आँगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 44 / 2016

प्रथम पक्षः– (1) रिंकू कुमारी पति–श्री सुशील राम,
साकिन व पोस्ट–बसौना, थाना– कहरा,
जिला– सहरसा।

द्वितीय पक्षः– (1) बिहार सरकार।
(2) संजू कुमारी पति– अर्जुन झा,
साकिन व पोस्ट–बसौना, थाना– कहरा,
जिला– सहरसा।

01.07.2019

–::आदेश::–

प्रस्तुत अभिलेख की कार्यवाही का प्रारंभ उपनिदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में अपीलार्थी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन के आलोक में दिनांक 18.06.2015 को किया गया। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश के आलोक में अभिलेख हस्तानंतरित होकर अग्रेतर कार्यवाही, सुनवाई व निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी का कहना है कि यह अपील आवेदन प्रखंड– कहरा, अन्तर्गत ग्राम पंचायत–सिरादेयपट्टी, के आँगनबाड़ी केन्द्र हरिजन टोला बसौना, केन्द्र कोड संख्या– 80 / 119 में सेविका पद के चयन में की गई अनियमितता के विरूद्ध है। हरिजन टोला बसौना मुख्यतः हरिजन बाहूल्य केन्द्र है जो वार्ड संख्या 10, 13 व वार्ड संख्या 12 के अंश से मिलकर बना है। इस केन्द्र अन्तर्गत ब्रह्मण जाति की संख्या काफी कम है और बगल का आँगनबाड़ी केन्द्र कन्या विद्यालय ब्रह्मण टोला, कोड संख्या 84, जो वार्ड संख्या 09, 11 व वार्ड संख्या 12 के अंश से मिलकर बना है, मुख्यतः ब्रह्मण जाति बाहूल्य है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका द्वारा द्वितीय पक्ष को लाभ पहुँचाने के नियत से गलत तरीके से बगल के आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या 84 के सामान्य जाति के लोगों का नाम केन्द्र कोड संख्या 80 / 119, हरिजन टोला बसौना में शामिल कर लिया गया और केन्द्र कोड संख्या 80 / 119 हरिजन टोला बसौना के बहुत सारे हरिजन लोगों का नाम हटा दिया गया। द्वितीय पक्ष संजू कुमारी पति अर्जुन झा के प्रभाव में आकर बालविकास परियोजना पदाधिकारी और आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका द्वारा मैपिंग पंजी में किए गए उक्त फेरबदल से आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या– 80 / 119, का पोषक क्षेत्र भी सामान्य जाति बाहूल्य हो गया, जिस कारण सामान्य जाति के संजू कुमारी (प्रतिवादी संख्या 02) का चयन आँगनबाड़ी सेविका पद पर गलत रूप से कर दिया गया। जबकि आंगनबाड़ी केन्द्र कोड संखा 80 / 119 हरिजन बाहूल्य क्षेत्र है और इस कारण

उक्त केन्द्र पर सामान्य वर्ग के लोगों का चयन किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी का कहना है कि इस संबंध में साक्ष्य के रूप में उनके ओर से वार्ड संख्या 10, 12, व 13 के वोटर लिस्ट की छायाप्रति अनुलगनक 01 के रूप में दाखिल की गई है।

आगे कहना है कि उक्त संबंध में मामले की जांच जब क्षेत्रीय वन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा की गई तो क्षेत्रीय वन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रविवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मैपिंग पंजी आम सभा व पंचायत समिति से अनुमोदत नहीं है, मैपिंग पंजी का सीमांकन नहीं किया गया है, मैपिंग पंजी पर जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अन्य कमियों का उल्लेख क्षेत्रीय वन पदाधिकारी, सहरसा. द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में किया गया है, जिसकी छायाप्रति अनुलगनक 02 के रूप में इनके ओर से दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का पुनः कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा भी जब मूल मैपिंग पंजी की मांग संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से की गई तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मूल मैपिंग पंजी, आम सभा रजिस्टर और अन्य कागजातों के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख किया गया और मूल कागजात न भेजकर छायाप्रति उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार अपलार्थी का कहना है कि चयन समिति द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 80/119 पर सेविका का चयन गलत ढंग से किया गया है और इस संबंध में जब इनके द्वारा अपने आपत्तियों के साथ आँगनबाडी अपील वाद संख्या 73/2011–12, दाखिल किया गया तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा इनके तरफ से प्रस्तुत तथ्यों पर समुचेत विचार किए बिना दिनाक 19.05.2014 को इनके अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया, जो नियमानुकूल नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील आवेदन को स्वीकृत किये जाने और आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या 73/2011–12, अन्तर्गत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित दिनांक 19.05.2015 के आदेश को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

दूसरी ओर प्रतिपक्षी संख्या– 02 संजू कुमारी का कहना है कि आवेदिका के द्वारा अपने अर्जी आवेदन में तथ्यों को छुपाकर और भ्रामक कथन और दस्तावेज के आधार पर यह वाद लाया गया है। वास्तविकता यह है कि उक्त केन्द्र संख्या 80/119 मैपिंग पंजी के अनुसार वर्ग बाहूल्य सामान्य वर्ग का है जो नियमानुकूल अनुमोदित व संधारित है। अपीलार्थी का ही कथन है कि पोषक क्षेत्र वार्ड संख्या 10, 12 व 13 के अंश से बना है जिसमें वार्ड के सभी परिवार का नाम मैपिंग पंजी में होना संभव नहीं है। पोषक क्षेत्र के चौहद्दी के अनुसार तीनों ही वार्ड से जो परिवार उक्त चौहद्दी के अन्तर्गत पाये गये उनका नाम मैपिंग पंजी में दर्ज किया गया, तदनुसार सामान्य वर्ग की संख्या ज्यादे है। इस संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर सहरसा के पत्रांक 662 सपत्र/गो०, दिनांक 09.05.2011 के आलोक में भी जांच किया गया और पत्रांक 1356–2/सपत्र दिनांक 06.07.2011 से समर्पित जांच प्रतिवेदन में इनके अर्थात संजू कुमारी के चयन को मार्गदर्शिका के अनुसार सही पाया गया। साथ ही अपीलार्थी के गलत व भ्रामक कथनों के

साथ दिए आवेदन के संबंध में भी जब जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा व जनशिकायत कोषांग, सहरसा द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग की गई तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त केन्द्र का पोषक क्षेत्र मैपिंग पंजी के अनुसार सामान्य वर्ग है और सामान्य वर्ग की सर्वाधिक मेधा अंक के अभ्यर्थी संजू कुमारी (प्रतिवादी) का चयन किया गया है। आवेदिका रिंकू कुमारी के आरोप को निराधार बताया गया है और कहा गया है कि आवेदिका आम सभा में अनुपस्थित थी। आम सभा पंजी पर रिंकू कुमारी का हस्ताक्षर नहीं है। जिला लोकायुक्त कोषांग से प्राप्त अपीलार्थी के ओर से दाखिल परिवाद के आलोक में भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा ग्रामीण, द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि संजू कुमारी का चयन सही है और यह भी उल्लेख किया गया है कि अनु० जाति/अनु० जनजाति व अल्पसंख्यक टोले में प्राथमिकता देते हुए केन्द्र स्थापित करना है, इसलिए उक्त केन्द्र राम टोला (हरिजन टोला) में स्थापित किया गया जिसका बाहूल्य से या आरक्षण से कोई संबंध नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 02 का अतंतः कहना है कि उनका चयन आमसभा द्वारा सभी अहर्त्ताओं को सही पाकर मार्गनिर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुकूल विधिसम्मत् रूप से किया गया व चयनोपरांत चयन पत्र दिया गया। अपीलार्थी द्वारा महज तंग–तबाह करने की नियत से आधारहीन तथ्यों के आधार पर यह वाद लाया गया है। इनके ओर से अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के क्रम संख्या– 01 के ओर से सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधि–सम्मत् है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रत्येक बिन्दुओं की समीक्षा कर अपना आदेश पारित किया है, जो सही है। इनके ओर से भी अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्ष के अधिवक्ता को विस्तार से सुना और निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख संख्या– 73/2011–12, का अवलोकन किया। अपीलार्थी का मुख्यतः कहना है कि वे हरिजन अर्थात अनुसूचित जाति से हैं। प्रखंड– कहरा, अन्तर्गत ग्राम पंचायत– सिरादेयपट्टी, के आँगनबाड़ी केन्द्र हरिजन टोला बसौना, केन्द्र कोड संख्या– 80/119 हरिजन (अनुसूचित जाति) बाहूल्य केन्द्र है। उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र में सेविका पद पर बहाली हेतु इनके अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थी के साथ प्रतिवादी संख्या 02 संजू कुमारी, जो सामान्य वर्ग अन्तार्गत आती है, के द्वारा भी आवेदन दाखिल किया गया था। प्रतिवादी संख्या 02, संजू कुमारी के प्रभाव में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका के मिलीभगत से एक गलत मैपिंग पंजी तैयार करवा लिया गया। जिस आधार पर इस आँगनबाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र हरिजन बाहूल्य से सामान्य वर्ग बाहूल्य हो गया और इसी कारण हरिजन वर्ग से होने के बाद भी उनका चयन आँगनबाडी सेविका के पद पर न कर सामान्य वर्ग के संजू कुमारी (प्रतिवादी संख्या– 02) का चयन कर लिया गया।

जबकि प्रतिवादी का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा जो वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा जांच किये जाने की बात कही जा रही है, उक्त संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वास्तविकता यह है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा

इस संबंध में कोई जांच नहीं किया गया है। दूसरी ओर निम्न न्यायालय के अभिलेख व आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्रीमति रिंकू कुमारी के आवेदन की जांच कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा की गई है। कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि कार्यरत सेविका संजू कुमारी का चयन विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप की गई है तथा अपीलार्थी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और अन्य कर्मचारियों पर लगाये गये आरोप को निराधार पाया गया है।

दोनों पक्ष के बहस को सुनने व दाखिल साक्ष्य के साथ निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आँगनबाडी केन्द्र हरिजन टोला बसौना सामान्य जातिं वर्ग बाहूल्य है। अपीलार्थी द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उपस्थापक आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को भेजें। इसके साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित व शुद्विकृत

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 29 /न्याया0, सहरसा, दिनांक 13.01.20

प्रतिलिपि :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख संख्या–73/2011–12, रिंकू कुमारी बनाम राज्य एवं संजू देवी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

13.1.20
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
13/01/20